राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं अर्द्धस्थायीकरण तथा स्थायीकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1217/2023 रामबाबू	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। 3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग, सवाई माधोपुर। 4. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ड्रिलिंग, उपखण्ड सवाई माधोपुर। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	04.04.2023	मई, 1985 एवं 01.04.1987 तथा 01.04.1995	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	1218/2023 रामचरण गुर्जर			मई, 1985 एवं 01.04.1987 तथा 01.04.1995	
3.	1219/2023 प्रहलाद सहाय गुर्जर	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शाहपुरा, जिला जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।		जनवरी, 1988 एवं 01.04.1990 तथा वर्ष 1998	
4.	2601/2023 विजय सिंह	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड अष्ठम्, सिविल लाईन चौकी, जयपुर।	03.10.2023	मार्च, 1990 एवं 31.03.1992 तथा 31.03.2000	
5.	2602/2023 रामस्वरूप गुर्जर	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 3. सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलींग उपखण्ड अलवर।		दिसम्बर, 1985 एवं 14.12.1987 तथा 14.12.1995	

आदेश की दिनांक : 02.09.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1217/2023 रामबाबू बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की अर्द्धस्थायी दिनांक से

सेवाओं की गणना करते हुये 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.04.2014 से दिया जावे और समस्त एरियर का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में हैल्पर के पद पर वर्ष 1985 में हुई थी और आदेश दिनांक 11.03.1992 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1987 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया तथा दिनांक 01.04.1995 से स्थायी घोषित किया गया। उसके पश्चात् अपीलार्थी को निरंतर वाहन चालक के पद पर कार्यरत होने के कारण वाहन चालक के पद पर पदस्थापित किया गया। वर्कचार्ज सेवा नियमों के अनुसार अपीलार्थी की 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे आदेश दिनांक 11.03.1992 के द्वारा दिनांक 31.03.1987 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया और आदेश दिनांक 13.03.1997 के द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को स्थायी घोषित किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.03.1998 को वर्कचार्ज कर्मचारियों के संबंध में 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी की दिनांक से चयनित वेतनमान के 9, 18 एवं 27 वर्षीय लाभ नहीं दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8541/2021 प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 04.09.2021 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 13.09.2021 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 24.08.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि विभाग द्वारा श्री कुन्दन सिंह को अर्द्धस्थायी की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये न्यायालय के आदेश की पालना में 9, 18 एवं 27 वर्षीय लाभ दिया गया है। अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का कोई निस्तारण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये 9 एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया, परंतु 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी के समान कार्यरत अब्दुल सलीम, वाहन चालक को आदेश दिनांक

17.01.2012 के द्वारा अर्द्धस्थायी की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है और अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की सेवाओं की गणना अर्द्धस्थायी दिनांक से नहीं करते हुये वाहन चालक के पद पर पदस्थापन आदेश दिनांक 13.10.2008 से की है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्य प्रभारित सहायकों की स्क्रीनिंग की जाकर दूसरे पद पर समायोजित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। जबकि अपीलार्थी ने नियुक्ति दिनांक से ही वाहन चालक का कार्य किया है और इस प्रकार अपीलार्थी अर्द्ध स्थायी दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। उनका कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 248/1998 बजरंग लाल बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 18.07.2000 में समान तथ्यों पर अर्द्ध स्थायी की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये वाहन चालक के पद पर कार्यरत मानते हुये 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किये हैं। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की अर्द्धस्थायी दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.04.2014 से दिया जावे और समस्त एरियर का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने स्वयं लिखा है कि उसकी नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में मई, 1985 में हुई थी, जो नियमित नियुक्ति नहीं है और कार्य प्रभारित संवर्ग में अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक से ही सेवा काल की गणना करते हुये चयनित वेतनमान का लाभ देय है। चयनित वेतनमान के लिये सेवाकाल की गणना नियमित नियुक्ति स्थायीकरण की दिनांक से ही की जावेगी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.03.1997 के द्वारा स्थायी किया गया है। अर्द्धस्थायी की दिनांक से सेवाकाल की गणना करते हुये चयनित वेतनमान देय नहीं है। विभागीय कार्यवाही पूर्ण रूप से नियमानुसार एवं

वैधानिक रूप से संपादित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधता एवं मनमानापन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण को वर्कचार्ज सेवा नियमों के अनुसार उक्त तालिका में अंकित प्रथम नियुक्ति तिथी अनुसार 2 वर्ष के लिये दैनिक वेतन भोगी पर तत्पश्चात् अर्द्धस्थायी एवं 10 वर्ष पश्चात् स्थायी घोषित किया गया है। अपीलार्थीगण को निरंतर वाहन चालक के पद पर कार्यरत होने के कारण वाहन चालक के पद पर पदस्थापित किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.03.1998 को वर्कचार्ज कर्मचारियों के संबंध में 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी की दिनांक से चयनित वेतनमान के 9, 18 एवं 27 वर्षीय लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थीगण को अर्द्धस्थायी दिनांक से 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, वकचार्ज कर्मचारियों के चयनित वेतनमान आदेश तथा अन्य जारी नियम/परिपत्र तथा न्यायिक निर्णय आदेश क्रमांक प.1(3)वित्त/व्यय–3/93 दिनांक 04.03.1998 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *''वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों को चयनित वेतनमान देने के संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.1995 के बिंदु संख्या 19 एवं दिनांक 03.03.1997 के अधिक्रमण में वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिनांक 01.01.1998 से देय होंगे। चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सेवा की गणना उनके अर्द्धस्थायी होने पर वेतनमान प्राप्त करने की दिनांक से की जावेगी।''*

राज्य सरकार द्वारा उक्त नियम के आधार पर अर्द्धस्थायी तिथी से चयनित वेतनमान का लाभ कार्मिक को नहीं दिये जाने पर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अर्द्धस्थायी तिथी से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना उचित माना। परंतु राज्य सरकार द्वारा

उक्त आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 152/2006 मुख्य अभियंता पीएचईडी (ग्रामीण) जयपुर व अन्य बनाम कुन्दन सिंह एवं अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2011 में उक्त आदेश को सही माना तथा राज्य सरकार की याचिका को खारिज किया, जिसमें निम्नलिखित आदेश दिया :–

> *"I do not find any merit in the arguments advanced.*
>
> *Rule 3(1) of the Rajasthan Work-Charge Rules, 1964 (hereinafter referred as the Rules of 1964) in quite unambiguous terms prescribes that a workman shall be confirmed with semi permanent status on completion of two years of service, on the post, he was working and the same is the position for the purpose of grant of semi permanent status on the completion of ten years of service. A definite finding of fact is given by the Labour Court that the respondent workman was working as driver from the date of his initial appointment. Such finding of fact is based on appreciation of evidence, thus, it can safely that the respondent workman was working as driver. Once the finding is arrived regarding working of the respondent workman on the post of driver, then he is certainly entitled to be conferred with semi permanent or permanent status in accordance with the Rules of 1964.*
>
> *No error, thus, is committed by the Labour Court with the award impugned. The petition for writ is dismissed accordingly."*

श्री कुन्दन सिंह एवं श्री पांचूराम वाहन चालक को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अर्द्धस्थायी दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण को अर्द्धस्थायी तिथी से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने से वंचित किया गया है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थीगण प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही वाहन चालक का कार्य करते आ रहे हैं। चूंकि आदेश दिनांक 13.10.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है जिसमें कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित वाहन चालक के पद पर वेतन श्रृंखला 3050–4590 के अंतर्गत नियुक्त किया जाकर पदस्थापित किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण का भी नाम का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण वाहन चालक के पद पर ही कार्यरत हैं। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से भी सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थीगण को अर्द्धस्थायी की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमानुसार देय नहीं है। चूंकि

उपरोक्त वर्कचार्ज सेवा नियमों के अंतर्गत अपीलार्थीगण अर्द्धस्थायी दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। इसी प्रकार कार्यमुक्त श्री अब्दुल सलीम वाहन चालक जिसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.01.1984 है और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ अर्द्धस्थायी तिथी से गणना करते हुये ग्रेड पे 3600 प्रदान किया गया है, जो आदेश दिनांक 15.10.2015 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार श्री कुन्दन सिंह एवं श्री पांचूराम को भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अर्द्धस्थायी दिनांक से 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। जबकि अपीलार्थीगण को अर्द्धस्थायी तिथी से सेवा की गणना करते हुये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमानों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, जो उक्त विधि, नियमों एवं परिपत्रों के विपरीत है।

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3620/2009 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित आदेश दिनांक 08.05.2009 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी कर्मचारी को उसकी नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके ही चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे मत में अपीलार्थीगण को उक्त तालिका में अंकित दिनांक (क्रमशः) से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थीगण की अर्द्धस्थायी घोषित होने की तिथि से ही नियमित नियुक्ति मानी जावेगी और उस तिथि से ही सेवा की गणना करके अपीलार्थीगण चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के क्रम में वित्त विभाग ने चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में दिनांक 29.08.2009 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद में दिनांक 20.08.2010 के अनुसार चयनित वेतनमान नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके ही स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे मत में उक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलार्थीगण अर्द्धस्थायी घोषित होने की दिनांक से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण अर्द्धस्थायीकरण की दिनांक (क्रमशः) से राज्य सरकार के वित्त विभाग

के परिपत्र एवं न्यायिक विनिश्चय को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार क्रमशः उनकी सेवा की गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा नियमानुसार उनका वेतन निर्धारण करते हुये अपीलार्थीगण को मय शेष राशि सहित भुगतान किया जावे। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 1217/2023 रामबाबू बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य